



वांछित अपराधी के विरुद्ध चले चैकिंग अभियान के अन्तर्गत 01 नफर वांछित अभि० को किया गिरफ्तार

श्रीमान उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सिहानी गेट श्री कृष्ण गोपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना सिहानीगेट के मु०अ०सं० 456/21 धारा 279/427/147/323/506/342/392 भादवि० के वांछित अभि०गण 1.टिन्कू पुत्र सौदान सिंह नि० ग्राम बडौली फतेह खां थाना मडराक जिला अलीगढ़ , 2. जितेन्द्र कुमार सिंह पुत्र गोपाल सिंह नि० ग्राम गुलौरा थाना गोपालपुर जिला गोपालगंज बिहार राज्य , हाल निवासी – हमतुम रोड़ मोती रेजिडेन्सी फ्लैट नं०- 02 ए ब्लॉक थाना बापूधाम जिला गा०बाद , 3-विनय चौहान पुत्र वीरेश चौहान नि० ग्राम मान थाना जवां जिला अलीगढ़ हल निवासी पंडित जी का किराये का मकान नं० डी 14 कृष्णा कुंज थाना नन्दग्राम गा०बाद को दौराने चैकिंग मुखबिर खास की सूचना पर कही जाने की फिराक में खड़े अभि०गण टिन्कू आदि 03 नफर उपरोक्त को टैम्पू स्टैण्ड हापुड रोड से थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा दि० 26/04/21 को को समय 10.30 बजे मय वाहन सं० DL1LAB2888 से सम्बन्धित अभिलेखों की फाईल सहित गिरफ्तार किया गया ।

अपराध का विवरण -

दिनांक 25/04/21 को वादी श्री आमोद पुत्र अशोक नि० सूरज पार्क गेट न० 2 समयपुर बादली नई दिल्ली । द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 456/21 धारा 279/427/147/323/506/342/392 भादवि० थाना सिहानीगेट गा०बाद बनाम बोलेरो गाडी UP 81 AV 3480 के चालक अज्ञात द्वारा वादी की गाडी में टक्कर मार दी जिससे दोनो गाडियो में नुकसान हो गया उक्त बोलेरो गाडी के ड्राइवर ने मोके पर अपने 4 – 5 साथी ओर बुला लिये तथा हमे एक दुसरो गाडी में डालकर हिंडन नदी के पास रेलवे पटरी के किनारे साइड पर ले गये तथा वहा जाकर हमसे गाडी सही कराने को लेकर 1 लाख रुपये मांगने लगे और हमे जान से मारने की धमकी देते हुये बहुत मारा पीटा और हमारी गाडी की फाइल और चाबी छीन ली और हमारा मो०न० ले लिया और हमे मार पीट कर मेरठ रोड पर छोड गए और कहा पैसे दे देना और फाइल चाबी ले लेना के सम्बन्ध मे रिपोर्ट दर्ज की गयी थी ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.टिन्कू पुत्र सौदान सिंह नि० ग्राम बडौली फतेह खां थाना मडराक जिला अलीगढ़
2. जितेन्द्र कुमार सिंह पुत्र गोपाल सिंह नि० ग्राम गुलौरा थाना गोपालपुर जिला गोपालगंज बिहार राज्य , हाल निवासी – हमतुम रोड़ मोती रेजिडेन्सी फ्लैट नं०- 02 ए ब्लॉक थाना बापूधाम जिला गा०बाद
- 3-विनय चौहान पुत्र वीरेश चौहान नि० ग्राम मान थाना जवां जिला अलीगढ़ हल निवासी पंडित जी का किराये का मकान नं० डी 14 कृष्णा कुंज थाना नन्दग्राम गा०बाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु०अ०सं० 456/21 धारा 279/427/147/323/506/342/392 भादवि० थाना सिहानीगेट गा०बाद

बरामदगी

वाहन सं० DL1LAB2888 से सम्बन्धित अभिलेखों की फाईल

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 56 पव्वे व 4 हाफ अंग्रेजी शराब नाजायज के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अमित पाठक के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस को शातिर मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर की पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 25.04.2021 को रात्रि चैकिंग के दौरान दो शातिर अभियुक्तगण 1. **अनीस** 2. **जीशान** को 56 पव्वे व 4 हाफ अंग्रेजी शराब नाजायज के साथ तिगरी गोल चक्कर के पास थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1- अनीस पुत्र रहीश, नि. मौहल्ला कोटला मेवातिया, थाना हापुड नगर, जनपद हापुड

2- जीशान पुत्र मुल्ली जी फारुफ, नि. ग्राम मालागढ, थाना अगौता, जनपद बु.शहर

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1- मु.अ.स. 427/21 धारा 60 आबकारी अधि० थाना विजय नगर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण

1. 56 पच्चे व 4 हाफ अंग्रेजी शराब नाजायज



थाना कविनगर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल व 1 तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए।

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे आपरेशन के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा थाना कविनगर पर पंजीकृत मु०अ०सं० 554/2020 धारा 307 भादवि में वांछित अभियुक्त अंकित पुत्र रुपचन्द निवासी शाहपुर बम्हेटा थाना कविनगर गाजियाबाद को चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर दिनांक 25.04.2021 को समय 22.30 बजे एच पी पेट्रोल पम्प से यादव नगर की तरफ अन्डर पास लाल कुँआ क्षेत्र थाना कविनगर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त की घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा .315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज व एक मोटर साईकिल सुपर स्पलेन्डर नं० UP14DK 6205 बरामद हुए जिसके सम्बन्ध में थाना कविनगर पर मु०अ०सं० 578/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसने अपने अन्य साथी के साथ मिलकर मुकदमा उपरोक्त की वादिया की सहेली श्रीमती सुमन पर जान से मारने की नियत से फायर कर गम्भीर रूप से घायल किया था, जिसके सम्बन्ध में वादिया द्वारा दिनांक 19.04.2021 को थाना कविनगर पर मु०अ०सं० 554/2021 धारा 307 भादवि पंजीकृत कराया गया। थाना कविनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त अंकित उपरोक्त की तत्परता से तलाश की जा रही थी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

अंकित पुत्र रुपचन्द निवासी शाहपुर बम्हेटा थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष शिक्षा 10वी पास।

बरामदगी का विवरण –

घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल सुपर स्पलेन्डर नं० UP14DK 6205

घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा .315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अंकित-

- 1- मु०अ०सं० 554/2020 धारा 307 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 2- मु०अ०सं० 578/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद।
अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

